

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, अरेरा हिल्स, किसान-भवन, भोपाल

कमांक/बोर्ड/लेखा/स्थायी निधि/1666  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21 /09/2021

संयुक्त/उप संचालक,  
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
आंचलिक कार्यालय .....(समस्त)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 की जमा स्थायी निधि की जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र कमांक/बोर्ड/लेखा/स्थायी निधि/1632 भोपाल,दिनांक 17/09/2021

-000-

उपरोक्त विषयान्तरगत संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई जानकारी की म०प्र० कृषि उपज मण्डी अधिनियम धारा 25 क(6) में सकल प्राप्तियों का 20% स्थायी निधि में बजट प्रावधान कर बजट स्वीकृति का प्रावधान निहित हैं। उक्त प्रावधान के तहत 20% राशि स्थायी निधि हेतु वित्तीय वर्ष के बजट में स्वीकृत की जाती हैं।

अतः आपके संभाग अर्तगत मण्डी समितियों द्वारा संधारित की गई स्थायी निधि की जानकारी पूर्व में प्रेषित प्रपत्र में आंशिक संशोधन निम्नुसार किया जा रहा है:-

क	मण्डी का नाम	श्रेणी	विगत वर्ष (2019-20) तक देय स्थायी निधि की राशि	31 मार्च 2020 तक जमा राशि	वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त आय	वर्ष 2020-21 की आय के आधार पर 20% स्थायी निधि की राशि	मण्डी को वर्ष 2020-21 अंत में बची शेष राशि जो स्थायी निधि में जमा की गई	कुल जमा स्थायी निधि की राशि	वर्ष 2021-22 में वर्तमान तक प्राप्त आय	आय के आधार पर 20% स्थायी निधि की राशि	चालू वर्ष 2021-2 में वर्तमान तक जमा स्थायी निधि	कुल जमा स्थायी निधि की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (8+11)

कृपया उपरोक्तानुसार संशोधन प्रपत्र में जानकारी एक्सल सीट में तैयार कर संकलित जानकारी भिजवाई जाना सुनिश्चित करें।

अपर संचालक(वित्त)  
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

कमांक/बोर्ड/लेखा/स्थायी निधि/1667  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 21 /09/2021

सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, .....जिला .....उक्त जानकारी एक्सल सीट में एक सप्ताह में आंचलिक कार्यालय के माध्यम से भिजवायी जाना सुनिश्चित करें।

अपर संचालक(वित्त)  
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल